

उत्तराखण्ड सरकार
संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड
संख्या 918 / सं0नि0उ0 / दो-3 / 2022-2023
दिनांक देहरादून 8 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXV(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या संख्या 124/XXX-2-22-30 (13)/2017, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निदेशालय में दिनांक 02-07-2022 एवं 05-07-2022 को आयोजित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/ तैनाती उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित इकाई में एतद्द्वारा की जाती है।

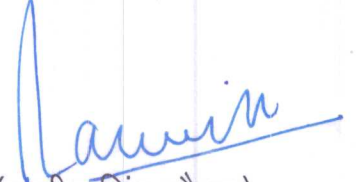
क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती स्थल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुदेश कुमार	लेखाकार	संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, अल्मोड़ा	स्वैच्छिक
2.	श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल	लेखाकार	क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, अल्मोड़ा	संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	जनहित

सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर/कार्यमुक्त होंगे।

स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा धारा 23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक के खिलाफ धारा 24 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक।

संख्या ११४ / सं०नि०उ० / दो-३ / २०२२-२०२३ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सम्बन्धित कर्मचारी।
२. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
४. आहरण-वितरण अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. आहरण वितरण अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, अल्मोड़ा।
६. क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, अल्मोड़ा।
७. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(बीना भट्ट)
निदेशक।

उत्तराखण्ड सरकार
संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड
संख्या 919 /सं0नि0उ0/दो-3/2022-2023
दिनांक देहरादून 8 जुलाई, 2022
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXV(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या संख्या 124/XXX-2-22-30 (13)/2017, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निदेशालय में दिनांक 02-07-2022 एवं 05-07-2022 को आयोजित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/ तैनाती उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित इकाई में एतद्वारा की जाती है।

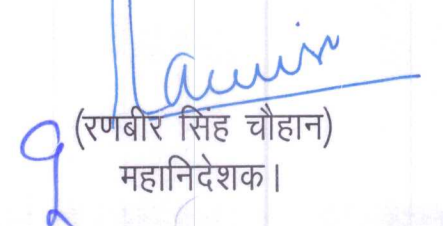
क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती स्थल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री योगेन्द्र सिंह भण्डारी	कनिष्ठ प्रवक्ता, लोकनृत्य	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पौड़ी	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून।	स्वैच्छिक
2.	श्री अनिरुद्ध सिंह बिष्ट	कनिष्ठ प्रवक्ता, लोकनृत्य	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पौड़ी।	स्वैच्छिक

सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर/कार्यमुक्त होंगे।

स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा धारा 23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक के खिलाफ धारा 24 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

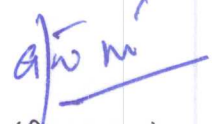
स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक।

संख्या ९१९ /सं०नि०उ०/दो-३/२०२२-२०२३ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून।
5. आहरण वितरण अधिकारी, भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पौड़ी।
6. प्रभारी, भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून/पौड़ी।
7. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(बीना भट्ट)
निदेशक।

उत्तराखण्ड सरकार
संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड
संख्या १२० /सं०नि०उ०/दो-३/२०२२-२०२३
दिनांक देहरादून ८ जुलाई, २०२२

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXV(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या संख्या 124/XXX-2-22-30 (13)/2017, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निदेशालय में दिनांक 02-07-2022 एवं 05-07-2022 को आयोजित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/ तैनाती उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित इकाई में एतद्वारा की जाती है।

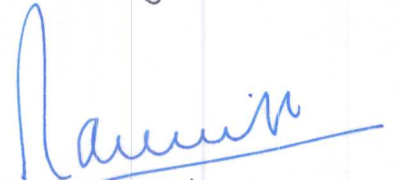
क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती स्थल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जगदीश सिंह बोरा	कनिष्ठ प्राविधिक सहायक (इतिहास)	राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।	क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल।	जनहित

सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे।

स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा धारा 23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक के खिलाफ धारा 24 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

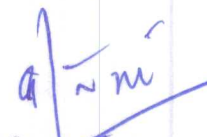
स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक।

संख्या ५२० / सं०नि०उ० / दो-३ / २०२२-२०२३ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सम्बन्धित कर्मचारी।
२. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
४. आहरण-वितरण अधिकारी, राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. आहरण वितरण अधिकारी, क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल।
६. प्रभारी, राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
७. क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल।
८. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(बीना भट्ट)
निदेशक।

उत्तराखण्ड सरकार
संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड
संख्या 921 / सं0नि0उ0 / दो-3 / 2022-2023
दिनांक देहरादून 9 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXV(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या संख्या 124/XXX-2-22-30 (13)/2017, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निदेशालय में दिनांक 02-07-2022 एवं 05-07-2022 को आयोजित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/ तैनाती उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित इकाई में एतद्द्वारा की जाती है।

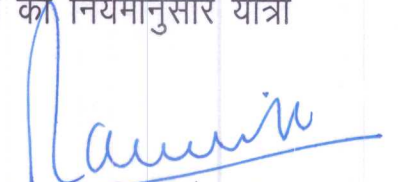
क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती स्थल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री उत्तम सिंह	स्मारक परिचर	वागनाथ मन्दिर, बागेश्वर।	पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा।	स्वेच्छिक
2.	श्री जगत सिंह	वीथिका परिचर	पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा।	बागनाथ मन्दिर, बागेश्वर।	स्वैच्छिक

सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर/कार्यमुक्त होंगे।

स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा धारा 23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक के खिलाफ धारा 24 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

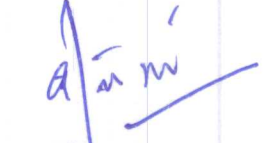
स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक।

संख्या १२१ /सं०नि०उ०/दो-३/२०२२-२०२३ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, पं० गोविन्द बल्लभ पन्त राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा।
5. प्रभारी, पं० गोविन्द बल्लभ पन्त राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा।
6. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(बीना भट्ट)
निदेशक।